

1 जुलाई से राजकीय कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएँ प्रतर्बिंधति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में 1 जुलाई से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतर्बिंधति कर दिया है। पर्यावरण व जलवायु परविरतन वभिग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गए हैं।

प्रमुख बदि

- पर्यावरण व जलवायु परविरतन के प्रमुख शासन सचवि शखिर अग्रवाल ने बताया क प्रतर्बिंधति वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डस्पोजेबल कटलरी, जैसे- कटोरे, टरे, कंटेनर आदि, जनिका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लयि कयिा जाता है तथा कृत्रमि फूल, बैनर, झंडे, फूलदान व पेट बोटलें शामिल हैं।
- आदेश में बताया गया है क कि कोई भी सरकारी कार्यालय उपर्युक्त एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा और कंपोस्टेबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनर्चक्रति कागज़ सामग्री आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जनिका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।
- वभिग ने वर्तमान आदेश पूर्व में लागू कयि गए नयिमों के क्रम में जारी कयिा है। आदेश में बताया गया है क प्लास्टिक अपशष्टि (प्रबंधन और हैंडलिंग) नयिम, 2016 को पर्यावरण को अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के प्रबंधन के लयि अधिसूचति कयिा गया है।
- इन नयिमों के प्रावधानों का पालन करने के लयि राज्य सरकार ने 21 जुलाई, 2010 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतर्बिंध लगाने की अधिसूचना जारी की है।
- गौरतलब है क केंद्र सरकार ने 12 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर नरिधारति एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को 1 जुलाई, 2022 से प्रतर्बिंधति कर दिया है।